

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 02/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

प्रदीप खाखा

सुकरमनी नाग

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

21.09.20


आदेश

आवेदक प्रदीप खाखा पिता स्व० हिलारियुस खाखा ग्राम मार्टिन बंगला, कमन्ता, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सुकरमनी नाग पिता स्व० महादेव नाग ग्राम पिड़ीहातु, पो०-मारंगहादा थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

| ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा (एकड़ में) |
|--------|----------|----------|-----------|-----------------|
| कमन्ता | 79 | 28 | 156 | 0.03 |

अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 744 दिनांक 19.09.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।
लेखापित एवं संशोधित


21/09/20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।


21/09/20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।